न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 113/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना।		1–गोदु पुत्र प्रभु कौम रेगर निवासी ईडवा (फौत) के कायममुकामान– 1/1–मोहनराम पुत्र गोदुराम कौम रेगर निवासी ईडवा 1/2–सीता पुत्री गोदुराम कौम रेगर निवासी ईडवा हाल रियांबड़ी 1/3–चुका पुत्री गोदुराम कौम रेगर निवासी ईडवा हाल नथावड़ा

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री महावीरसिंह।

निर्णय दिनांक : 12/09/2019

प्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलक्टर नागौर ने उक्त प्रकरण उनके न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना अवगत कराते हुऐ उक्त प्रकरण पत्रांक–एडीएम/कोर्ट/726 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा इस न्यायालय को भिजवाये जाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा ईडवा के खसरा नम्बर 1160/530 रकबा 0.16 बीघा भूमि अप्रार्थी गोदु पुत्र प्रभु जाति रेगर निवासी ईडवा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1194 ग्राम ईडवा भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। जो नामान्तरकरण की प्रति से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1990 में आवंटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालना नहीं किया, जो खसरा गिरदावरी संवत् 2053 से 2068 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि कृषि अयोग्य के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का ईडवा की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकील श्री महावीरसिंह ने अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया कि ग्राम ईडवा के खसरा नम्बर 1160/530 रकबा 0.16 बीघा भूमि अप्रार्थी गोदू के नाम आवंटन होकर नामान्तरकरण संख्या 1194 के जरिये खातेदारी दर्ज हुई थी, उसे गैर खातेदारी बताकर खातेदारी निरस्ती हेतु रेफरेन्स गलत आधारों पर पेश किया है। यह गलत है कि उक्त आवंटित भूमि काबिल काश्त नहीं हो व कृषि अयोग्य हो, बल्कि विधिनुसार बाद जॉच आवंटन होकर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। अप्रार्थी की कथित गैर खातेदारी निरस्त करवाने के लिए सरासर मिथ्या आधारों पर रेफरेन्स आवेदन पेश किया है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बार भी है। पटवारी हल्का मौके पर आकर कोई गिरदावरी वगैरा तैयार नहीं करते है कार्यालय में बैठे बैठे मनमर्जी से गिरदावरियां दर्ज की जाती है कथित दस्तावेजात के आधार पर हस्तगत रेफरेन्स

कलक्टर, नागौर

सरासर गलत पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण गरीब अनुसूचित जाति के काश्तकार लोग है, उनके हितों के विपरित सारी कार्यवाही बाले बाले की है, इसलिए रेफरेन्स पोषणीय नहीं है। तहसीलदार को उक्त रेफरेन्स करने का विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी गोदू का देहान्त हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी हस्तगत आराजी पर काबिज है तथा रेफरेन्स से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने व मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा ईडवा के खसरा नम्बर 1160/530 रकबा 0.16 बीघा भूमि अप्रार्थी गोदु पुत्र प्रभु कौम रेगर निवासी ईडवा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1194 ग्राम ईडवा भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम ईडवा के नामान्तरकरण संख्या–1194 व जमाबन्दी ग्राम ईडवा तहसील डेगाना संवत 2061 से 2064 से भी साबित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी गोदु को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1990 में किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का ईडवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.12 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी गोदु का उक्त आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का काश्त नहीं है एवं उक्त भूमि मौके पर नाकाबिल काश्त है। ग्राम ईडवा की खसरा गिरदावरी संवत् 2053–2068 तक के नकलों के अनुसार भी अप्रार्थी गोदू की काश्त दर्ज नहीं है, जो आवंटन आदेश की शर्तो का उल्लघंन होने से अप्रार्थी गोदू को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जा सके।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम ईडवा में अप्रार्थी गोदु पुत्र प्रभु कौम रेगर निवासी ईडवा के नाम पर खसरा नम्बर 1160/530 में से रकबा 0.16 बीघा बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डेगाना को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार डेगाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:28:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: